Vendors and Small Traders get Relief from Demolition and Sealing as Delhi Special Provision Act Gets Extended

सीलिंग कार्रवाई से एक साल की राहत

Mar 11, 12:43 am

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : राजधानी के कारोबारियों के लिए अच्छी खबर। इस वर्ष जनवरी से लगभग साढ़े सात लाख व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छाए सीलिंग के संकट से फिलहाल कारोबारियों को निजात मिल गई है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने एमसीडी कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह दिल्ली में मिक्स लैंड यूज वाले इलाकों में कारोबारी संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई न करें। बता दें कि दिल्ली कानून विशेष प्रावधान बिल (जिसके तहत इस कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी) की अवधि दिसंबर 2010 में खत्म होने के बाद व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की तलवार लटकी हुई थी।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा एमसीडी कमिश्नर केएस मेहरा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2011 तक कारोबारी प्रतिष्ठानों को सीलिंग और तोड़फोड़ से छूट देने के लिए दिल्ली कानून विशेष प्रावधान 2011 केंद्र सरकार द्वारा विचाराधीन है। नियमानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति को भेजी गई है। आठ मार्च को एमसीडी को भेजे गए पत्र के बाद स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी, हॉकर्स व अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, अनधिकृत कालोनियों व ग्रामीण इलाकों में चल रही कारोबारी गतिविधियों के खिलाफ सीलिंग कार्रवाई पर रोक लग गई है।

एमसीडी के नेता विपक्ष जयकिशन शर्मा के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कांग्रेसी शहरी विकास मंत्री से मिला। इन लोगों ने मांग की थी कि दिल्ली कानून विशेष प्रावधान लाकर गैर व्यवसायिक इलाकों में चल रही व्यापारिक गतिविधियों को सीलिंग से राहत दी जाए। इसके बाद मंत्रालय की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहायशी इलाकों में व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के बाद वर्ष 2006-07 में एमसीडी द्वारा भारी संख्या में दुकानों, गोदामों आदि को सील किया गया था। इससे राहत देने के लिए केंद्र सरकार यह विशेष बिल लेकर आई थी। इसकी तारीख हर साल अगले एक साल के लिए बढ़ाई जाती रही है।